पत्रांकः—वन भूमि—59 / 2022..................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक...........................

विषय :— बक्सर जिलान्तर्गत NH-319A (मोहनियाँ—रामगढ़—चौसा—बक्सर) (30.660—65.885 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.6038 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बक्सर जिलान्तर्गत NH-319A (मोहनियाँ—रामगढ़—चौसा—बक्सर) (30.660—65.885 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.6038 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, औरंगाबाद द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 2453 वृक्षों में से 1371 वृक्षों को परियोजना स्थल पर सुरक्षित बचाया जायेगा एवं 877 वृक्षों का पातन तथा 205 वृक्षों का पुनर्स्थापन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.7 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही बिना प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 10.6038 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुना 21.2076 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को गया वन प्रमंडल के अतरी वन प्रक्षेत्र के कजुर PF को चिन्हित करते हुए 41,51,203 / —(इक्तालीस लाख इक्यावन हजार दो सौ तीन रूपये) मात्र प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र—II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र—III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरुप यथावत रहेगा।
2. 10.6038 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 12.28590 लाख प्रति हे० के दर से रू० 1,30,27,723/– (रूपये एक करोड़ तीस लाख सताईस हजार सात सौ तेईस) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 10.6038 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए गया वन प्रमंडल अन्तर्गत 21.2076 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 41,51,203/–(रूपये एकतालीस लाख एकावन हजार दो सौ तीन रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1464/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–59/2022................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार से अनुरोध है कि संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना सीधे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची को उपलब्ध करा दिया जाय।

ह०/–

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–59/2022 22(50)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 05/01/23

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

5/1/2023

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

Van Bhumi:-59/2022

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 10.6038 ha. forest land for upgrading & widening Project of NH-319A Mohania-Ramgarh-Chausa-Buxer under Buxer District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:-......5/1/2023......

Place:-......PATNA......

Signature:- Sudhir Kumar

Name of Designation:- अपर सचिव

Official Seal:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, पटना